

23/2022

ठाकुराराम व अन्य बनाम रामाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

12.3.24

अपीलाट के अधिवक्ता उप. रेस्पो. सं. 1 से 9 अनुपरिष्ठात। पठावली वाले गलकी रेकर्ड व रेस्पो. आईएन दिनांक 24.4.2024 को भेजा है।

आतेरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा

24.4.24

अपीलाट के अधिवक्ता अनुपरिष्ठात। पीडासीत अधिकारी महीपत बुनाब चाली में जका हमे से पठावली वाले गलकी रेस्पो. आईएन दिनांक 15.5.24 को भेजा है।

15.5.24

अपीलाट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो. अनुपरिष्ठात। अधिवक्ता न्यायालय का अपीलार्थी रेकर्ड प्राप्त। ~~क्या~~ पुनः स्मरण पठा जाती है। पठावली वाले गलकी रेकर्ड आईएन दिनांक 19.06.2024 को भेजा है।

आतेरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा

19.6.24

अपीलाट (170) के अधिवक्ता उप. रेस्पो. संख्या 01 के 07 के अधिवक्ता इति हुक्म किह चौधरी के वकालतनाम भेजा दिया जो पठावली के हाकीत है। रेस्पो. को गलकी हेतु जारी नोटिस की तामिली प्राप्त है गई है। जो पठावली के संलग्न है। अधिवक्ता न्यायालय के अपीलार्थी अधिकार प्राप्त है जका है जो पठावली के हाकीत है।

पडाकारान अपीलाट (170) व रेस्पो. संख्या 01 के 07 के अपीलार्थी शर्मा नाम भेजा

उक्तोक्ति जारी 332 29/5/24

मेघाराम

ठाकुराराम



अ.नि. रामाराम





अ.नि. पलाराम



लगातार... अ.नि. चौराम

23/2022

हाकराण व अन्ध भ्रमण समाधान क अधिनियम

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियत्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>किताब, राजीनामा बाद जोया तस्वीक कर शामिल प्रभावली किताब। सरकार के विरुद्ध।</p> <p>शे. 08 व 09 पौरमान पडाकार होने के तादिली परीक्षा मामी जाती है।</p> <p>पडाकारान ने आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि जब आपसी सहमति के बेटवाइ का सार्थकता पर अधीनस्थ महसिलदार बाबतु के समझ प्रस्तुत किया था कि मोडे पर जिस प्रकार पडाकारान का कब्जा कायम है उसी अनुसार बेटवाइ किया जाये। परन्तु पडाकारान के पहने लिखने की जानकारी न होने के सशासन गौकी के सँग अधिनियम 2013 में परिवारी के जो नजरी नकशा बनाया उस पर सही मानकर हकनाकार किये जबकि वह अशुद्धी जानकारी होने के किये जाये थे। मोडे पर बनी रहवासी हाणी व छोटे उतरदाना के कब्जे में चले गये है जिससे विभाजन में बाधकाय ले रही है। इसलिए महसिलदार बाबतु को पारित किया गया आपसी विभाजन प्रस्ताव दिनांक 29.01.2023 निरस्त किया जाये।</p> <p>हमें उक्त पडाकारान की सुना, प्रभावली व आपसी राजीनामे का अवलोकन किया और बाद गौर अधिलेखण की अधिलेखण अन्ध मथाद सुमाद की।</p> <p>०६</p>	 <p>अ.नि. वकाराण</p> <p>हुकमा 2022</p> <p>23/2022</p>  <p>अ.नि. लक्ष्मी</p> <p>23/2022</p> <p>(अ.नि. लक्ष्मी)</p>

लगातार

23/2022 हाकरा राम व अन्न बनाम रामराम व अन्न

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>पञ्जाब सरकार की ओर से मन्सूब राजीवगाम के आधार पर अधीलोरजण की अधील मन्कीकार की जाकर व तहसीलदार बाथकु के द्वारा जारी अधीर दिनांक 29.01.2013 (हुक्म - राजस्व/2013/278) को निरस्त कर एकल तहसीलदार बाथकु वर्तमान तहसीलदार गिडु को इस निर्देश की के साथ प्रति प्रेषित किया जाकर अधीर दिनांक 29.01.2013 को भूमि का मौके पर कब्जा काशन, सहवासी हाणी, आवागमन के शक्ते के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए पञ्जाब सरकार की अधीर के पुनः जेरवाडा कर रिकॉर्ड में शामिल कर लिया करे।</p> <p>पञ्जाब सरकार की ओर से कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण शुमार होकर पञ्जाब सरकार की ओर नम्बर के एक हो</p>	

आतिरिक्त जिला कलेक्टर
बालोतरा